



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122021-232154
CG-DL-E-27122021-232154

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 724]
No. 724]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 27, 2021/पौष 6, 1943
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 27, 2021/PAUSA 6, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 883(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (23चच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का आगे और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (चौंतीसवां संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 में (जिसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) नियम 2घग के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

“2घघ धारा 10 के खंड (23चच) के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट निधि की आय में छूट की गणना.-

(1) धारा 10 के खंड (23चच) के प्रयोजनार्थ, पूंजीगत लाभ की प्रकृति की आय, निर्दिष्ट निधि द्वारा अर्जित या प्राप्त जो अनिवासी (भारत में स्थायी स्थापना के अनिवासी नहीं होते हुए) द्वारा आयोजित इकाईयों के कारण ऐसे निर्दिष्ट निधि में गणना इस प्रकार की जाएगी: -

(i) जहां उपनियम (2) के अनुसार निर्दिष्ट निधि प्ररूप सं. 10झझ के साथ फाइल किया जाता है, धारा 10 के खंड (23चच) के अधीन आय में छूट (क*ख/ग), जहां,-

क = पूंजीगत लाभ की प्रकृति की आय निर्दिष्ट निधि द्वारा अर्जित या प्राप्त जो निर्दिष्ट निधि द्वारा भारत में निवासी कंपनी के शेयर हस्तांतरण के कारण और जहां ऐसे शेयर निर्दिष्ट निधि द्वारा परिणामी निधि के रूप में प्राप्त किए जाते हैं, मूल निधि से पुनः स्थापना में अथवा इसके पूर्ण रूप से विशेष प्रयोजन वाहन का स्वामित्व तथा जहां ऐसे पूंजीगत लाभ कर प्रभार्य नहीं होंगे यदि स्थान परिवर्तन के बदले स्थान ग्रहण नहीं हुआ;

ख= निर्दिष्ट निधि के 'प्रबंधन के अधीन दैनिक सकल आस्तियों' जो अनिवासी इकाई धारक द्वारा (भारत में स्थायी स्थापना के अनिवासी नहीं होते हुए) निर्दिष्ट निधि द्वारा भारत में निवासी कंपनी के शेयर के अधिग्रहण की तारीख से ऐसे शेयर के हस्तांतरण की तारीख से होगा।

ग = निर्दिष्ट निधि के प्रबंधन के अधीन 'दैनिक कुल सकल आस्तियां' भारत में निवासी कंपनी के शेयर के अधिग्रहण के अधीन भारत में निवासी कंपनी के शेयर के अधिग्रहण की तारीख से निर्दिष्ट निधि द्वारा ऐसे शेयर के हस्तांतरण की तारीख से होगा।

(ii) जहां निर्दिष्ट निधि द्वारा प्ररूप सं. 10झझ नहीं भरा गया है आय में छूट शून्य होगी।

(2) निर्दिष्ट निधि प्ररूप 10झझ में आय में छूट का वार्षिक विवरण के अधीन तय तारीख को या उससे पूर्व इलैक्ट्रानिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर उसमें दर्शित रीति सम्यक रूप से सत्यापित करके प्रस्तुत करेगा।

(3) ये उपनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक विवरण प्राप्त करेगा, लेखाकार द्वारा निर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्रमाणित करेगा और ऐसा लेखाकार प्ररूप 10झझ में डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगा जिसे उसमें दर्शित रीति को सम्यक रूप से सत्यापित किया जाता है।

(4) यथास्थिति प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) अथवा आयकर महानिदेशक (प्रणाली), इस नियम के अधीन प्ररूप सं. 10झझ तथा 10झझ फाइल करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट करेंगे और विवरण के संबंध में समुचित क्रियान्वायन सुरक्षा पुनर्प्राप्ति तथा अभिलेखीय प्राप्तियों के लिए उत्तरदायी होंगे।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्तियां,-

- (क) "प्रबंधन के अधीन आस्तियों" से किसी विशिष्ट तारीख के रूप में को आस्तियों के जमा शेष अथवा निर्दिष्ट निधि के निवेश अभिप्रेत है;
- (ख) "नियत तारीख" का अर्थ वही होगा जो धारा 139 की उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण 2 में दी गई है;
- (ग) "मूल निधि", "पुनःस्थापना" और "परिणामी निधि" का अर्थ वही होगा जो धारा 47 के खंड (viiकग) के स्पष्टीकरण खंड (viiकघ) में दिया गया है;
- (घ) "स्थायी स्थापन" का अर्थ वही होगा जो धारा 92च के खंड (iiiक) में दिया गया है;
- (ङ) "प्रतिभूतियों" का अर्थ वही होगा जो कि धारा 10 के खंड (खख) के स्पष्टीकरण खंड (4घ) में दिया गया है;
- (च) "निर्दिष्ट तारीख", प्ररूप 10झझ में वार्षिक विवरण का प्रमाणीकरण के संबंध में, एक मास की तारीख जो नियत तारीख से पहले हो अभिप्रेत है;
- (छ) "निर्दिष्ट निधि" का अर्थ वही होगा जो धारा 10 के स्पष्टीकरण (4घ) के खंड (ग) के उपखंड (i) में दिया गया है; और
- (ज) "इकाई" का अर्थ वही होगा जो धारा 10 के खंड (च) के स्पष्टीकरण (4घ) में दिया गया है।

3. मूल नियमों में, परिशिष्ट II में, प्ररूप 10झझ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूपों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप सं. 10झझ

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड (23चच) के अधीन आय में छूट का विवरण

[नियम 2घघ का उपनियम (2) देखें]

क्रम सं.		
1	निर्दिष्ट निधि का नाम	
2	निर्दिष्ट निधि का स्थायी खाता संख्या	
3	निर्दिष्ट निधि का रजिस्ट्री पता	
4	निर्दिष्ट निधि की वैधानिक प्रास्थिति (कंपनी/न्यास/सीमित दायित्व भागीदारी/निगमित निकाय)	(ड्राप डाउन)
5	स्थापन/निगमन की तारीख	तारीख मा स व र्ष
6	प्रचालन के प्रारंभ की तारीख	तारीख मा स व र्ष
7.1	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्री के अनुसार प्रमाण पत्र की रजिस्ट्री संख्या	
2	रजिस्ट्री की तारीख	तारीख मा स व र्ष
8	क्या निर्दिष्ट निधि की समस्त इकाईयां अनिवासी के अधिकार में है, प्रबंधक या प्रायोजक द्वारा इकाईयों के अधिकार के अतिरिक्त	हां/नहीं
9	मूल निधि का नाम पता तथा इसका विशेष प्रयोजन वाहन का स्वामित्व	
10	मूल निधि का रजिस्ट्री पता तथा इसका विशेष प्रयोजन वाहन का स्वामित्व	
11	क्या मूल निधि भारत में निवासी व्यक्ति है	हां/नहीं
12	क्या मूल निधि किसी देश का निवासी अथवा निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र है जिसके साथ धारा 90 की उपधारा (1) अथवा धारा 90क की उपधारा(1) में निर्दिष्ट समझौता किया गया है अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा इस ओर से अधिसूचित स्थापित या निगमित या रजिस्ट्री किसी देश या निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र में किया गया है।	हां/नहीं
13	क्या मूल निधि और इसकी क्रियाकलाप देश या निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र में जहां ये स्थापित या निगमित है या निवासी है, निवेशक सुरक्षा नियमों के अधीन है	हां/नहीं
14	क्या मूल निधि धारा 47 के खंड (viiकघ) के अधीन निर्धारित शर्तों की पूर्ति करती है	हां/नहीं
15	मूल निधि के निवास का देश	
16	मूल निधि की वैधानिक प्रास्थिति तथा इसके विशेष प्रयोजन वाहन का पूर्ण स्वामित्व [कंपनी/न्यास/सीमित दायित्व भागीदारी/निगमित निकाय]	(ड्राप डाउन)
17	निवास के देश में मूल निधि को आबंटित तथा इसके विशेष प्रयोजन वाहन के पूर्ण स्वामित्व की कर दाता की रजिस्ट्री संख्या अथवा अन्य विशिष्ट पहचान संख्या	
18	हस्तांतरित शेयर्स का विवरण:-	

क्रम सं	भारत में निवासी कंपनी का नाम जिसके शेयर्स हस्तांतरित किए गए हैं	शेयर्स की संख्या	अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहण की लागत	हस्तांतरण की तारीख	विक्री प्रतिफल
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
19	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड (23चच) के अधीन आय में छूट की गणना					
	भारत में निवासी कंपनी के शेयर के हस्तांतरण के कारक परिणामी निधि द्वारा प्रदत्त पूंजीगत लाभ की प्रकृति अर्जित या प्राप्त आय (1)				रु.	
	अनिवासी इकाई धारकों द्वारा निर्दिष्ट निधि के 'प्रबंधक के अधीन आस्तियों' का दैनिक सकल मूल्य (भारत में अनिवासी स्थायी प्रतिष्ठान नहीं होते हुए) निर्दिष्ट निधि द्वारा भारत में निवासी कंपनी के शेयर अधिग्रहण की तारीख से ऐसे शेयर के हस्तांतरण की तारीख तक (2)					
	भारत की निवासी कंपनी के निर्दिष्ट निधि द्वारा प्रबंधन के अंतर्गत आस्तियों की दैनिक कुल सकल मूल्य शेयर अधिग्रहण की तारीख से शेयर के हस्तांतरण की तारीख तक (3)					
	नियम 2घघ के अधीन निर्धारित अनुपात (4)				(2)/(3)	
	अनिवासी द्वारा अधिकृत इकाइयों से आय (भारत में अनिवासी स्थायी स्थापन नहीं होते हुए) (5)				(1)*(4)	

मैं _____ (नाम सुस्पष्ट शब्दों में) पुत्र/ पुत्री/ पत्नी _____ सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि जो भी उपर्युक्त बताया गया है वह मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही व पूर्ण है। इस प्ररूप में संलग्न सभी दस्तावेज सही व पूर्ण हैं मैं आगे यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं ऐसा विवरण _____ (पद) क्षमता के अंतर्गत प्रस्तुत और सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं। यह भी सत्यापित किया जाता है कि लेखाकार का प्रमाणीकरण प्ररूप 10झज को _____ फाइल किया गया था।

सत्यापित आज _____ मास _____

स्थान _____

हस्ताक्षर

प्ररूप सं 10झज

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड (23चच) के अधीन लेखाकार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र

(नियम 2घघ की अधिनियम (3) देखें)

मैं/हम _____ लेखा बही, यदि कोई और अन्य दस्तावेजों, प्ररूप सं 10झझ में वार्षिक विवरण सहित, पूंजीगत लाभ की प्रकृति की आय के विवरण दर्शाते हुए अर्जित या प्राप्त _____ (निर्दिष्ट निधि का नाम) द्वारा भारत में निवासी कंपनी के शेयर के हस्तांतरण के कारण निर्दिष्ट निधि द्वारा अनिवासी द्वारा अधिकृत इकाइयों के कारण सीमा तक (भारत में आदिवासी स्थायी स्थापन नहीं होते हुए) अधिनियम की धारा 10 के खंड(23चच) के अधीन छूट प्राप्त तथा कुल आय में छूट उक्त खंड के अधीन पिछले वर्ष के लिए _____ जो कि _____।

2. मैं/हम घोषणा करता/करते हूं/हैं कि उपर्युक्त दिए गए विवरण मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है।

स्थान _____

हस्ताक्षर और लेखाकार का नाम

तारीख _____

निर्देश :

(1) जहां निर्दिष्ट निधि कई जारी योजनाएं हो, निर्दिष्ट निधि अलग से प्ररूप सं. 10झझ में आय में छूट का वार्षिक विवरण प्रत्येक स्कीम के लिए प्रस्तुत करेगा; और

(2) समस्त राशि को भारतीय रु में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।”।

[अधिसूचना सं. 138/2021/फा. सं. 370142/58/2021-टीपीएल(भाग-II)]

उम्मे फरदीना आदिल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 851(अ) तारीख 10 दिसंबर, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।